

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 56 / 2022

वादीगण-

1. नरपतसिंह पुत्र मेघसिंह जाति, राजपूत निवासी-छाजोली, तहसील-जायल, नागौर।

प्रतिवादीगण -

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह
2. रायसिंह पुत्र हरिसिंह
3. अछन कंवर पत्नी हरिसिंह
4. कमूकंवर पुत्री हरिसिंह
5. मानकंवर पुत्री हरिसिंह
6. सदा कंवर पुत्री हरिसिंह
7. हवा कंवर पुत्री हरिसिंह

जातियान-राजपूत निवासीगण-छाजोली, तहसील-जायल, नागौर।

8. सरकार जरिये तहसीलदार जायल
9. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा छोटी खाटू।
10. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जायल।

उपस्थिति :-

1. श्री मुकेश कुमार बिडियासर अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री नाथूराम ईनाणियां प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 7 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार उपस्थित।
5. प्रतिवादी संख्या 9 व 10 परफॉर्मा पक्षकार।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 13/7/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पुश्तैनी कब्जे काश्त सहखातेदारी में मौजा छाजोली तहसील जायल के खेत खसरा नं. 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर, खसरा नंबर 518 रकबा 1.2869 हैक्टैयर रहती चली आई है। वादी एवं प्रतिवादीगणों ने उक्त खेतार्यों का बंटवाड़ा सम्बत् 2077 को माह सूदी तीज को अपने अपने हक हिस्से कब्जे काश्त पर सीव नींव वादपत्र एवं साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र वादी नरपतसिंह एवं प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के अनुसार सीव नींव कायम कर ली है। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 नरपतसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा छाजोली के खेत खसरा नंबर 518 रकबा 1.2869 हैक्टैयर पूरा व खेत खसरा नंबर 491 रकबा 7.1791

13/07/2022
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

हैक्टैयर में से 2.9413 हैक्टैयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा छाजोली के खेत खसरा नंबर 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर में से 1.4126 हैक्टैयर नरपतसिंह के चिपता भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 रायसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा छाजोली के खेत खसरा नंबर 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर में से 1.4126 हैक्टैयर पूर्व भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 अच्छन कंवर के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा छाजोली के खेत खसरा नंबर 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर में से 1.4126 हैक्टैयर मध्य भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। अतः वाद पत्र तथा राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 से 7 ने दिनांक 05.07.2022 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय होकर वकालतनामा एवं ईकवाली जवाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री मुकेश बिडियासर ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 7 की पहचान अधिवक्ता श्री नाथूराम ईनाणियां ने की। ईकवाली जवाब शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सम्मन तामिल हाजिर नहीं हुवे इसलिये उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 8 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त है एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 10 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर अप्राप्त है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 8 जिन्होंने राजहित सुरक्षित रखते हुवे वाद के मिसल में अनापति जाहिर की है। प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 से 7 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकवाली जवाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 8 से 10 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक विन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह नरपत सिंह पुत्र मेघसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम छाजोली तहसील-जायल सम्बत् 2073-2076 खाता संख्या 401 प्रदर्श-1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 7 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकवाली जवाब शपथ पत्र वाद पत्र को स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार की तामिल हो चुकी है जो वाद पत्र में परफोर्मा पक्षकार है जिन्होंने राजहित सुरक्षित रखते हुवे अनापति जाहिर की है। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 केवल परफोर्मा पक्षकार है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकवाली जवाब में वर्णित पैराज एवं नजरीनकशानुसार अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 से


सहायक कलेक्टर
(ए.डी.ओ.) जायल

7 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकवाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात स्वीकारा है तथा माफिक ईकवाली जबाब एवं साक्ष्य शपथ अनुसार वाद पत्र को डिक्ली किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा ईकवाली जबाब एवं साक्ष्य शपथ अनुसार वाद पत्र को डिक्ली किये पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा ईकवाली जबाब एवं कालतनामा दिनांक 13.06.2022 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाडा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, साक्ष्य शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 से 7 के द्वारा प्रस्तुत ईकवाली जबाब एवं प्रतिवादीसंख्या 2 के विरुद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 से 10 को राजपैरोकार एवं केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते हैं। जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा नजरीनकशानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकवाली जबाब दिनांक 13.06.2022 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 से 7 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काविज काश्त होना स्वीकार किया है तथा वाद पत्र को डिक्ली किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा छाजोली के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार खातेदारी घोषणा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा वादी संख्या 1 नरपतसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा छाजोली के खेत खसरा नंबर 518 रकबा 1.2869 हैक्टैयर पूरा व खेत खसरा नंबर 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर में से 2.9413 हैक्टैयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा छाजोली के खेत खसरा नंबर 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर में से 1.4126 हैक्टैयर नरपतसिंह के चिपता भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 रायसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा छाजोली के खेत खसरा नंबर 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर में से 1.4126 हैक्टैयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 अच्छन कंवर के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा छाजोली के खेत खसरा नंबर 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर में से 1.4126 हैक्टैयर मध्य भाग माफिक नजरीनकशानुसार आपसी सहमति से जरिये ईकवाली जबाब एवं साक्ष्य शपथ पत्र वादी एवं प्रतिवादीगण अनुसार बंटवाडा चाहा गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक बंट कब्जा काश्त में उनके हक हिस्से की भूमि माफिक नजरीनकशानुसार रखी गई है तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क लिया जाना न्यायसंगत है। अतः मौजा

[Signature]
 सहायक कलेक्टर
 (एच.डी.ओ.) जायल

छाजोली के खेत खसरा नं. 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर, खसरा नंबर 518 रकबा 1.2869 हैक्टैयर भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 सहखातेदार के मध्य जरिये सहमति एवं ईकवाली जबाब एवं पत्रावली में संलग्न साक्ष्य शपथ पत्र अनुसार घोषणा खातेदारी की जाकर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

- :: आदेश :: -

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88.53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा छाजोली के खेत खसरा नं. 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर, खसरा नंबर 518 रकबा 1.2869 हैक्टैयर भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 सहखातेदार के मध्य जरिये सहमति एवं ईकवाली जबाब एवं पत्रावली में संलग्न साक्ष्य शपथ पत्र अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 नरपतसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा छाजोली के खेत खसरा नंबर 518 रकबा 1.2869 हैक्टैयर पूरा व खेत खसरा नंबर 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर में से 2.9413 हैक्टैयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा छाजोली के खेत खसरा नंबर 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर में से 1.4126 हैक्टैयर नरपतसिंह के चिपता भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 रायसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा छाजोली के खेत खसरा नंबर 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर में से 1.4126 हैक्टैयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 अच्छन कंवर के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा छाजोली के खेत खसरा नंबर 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर में से 1.4126 हैक्टैयर मध्य भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
6. वादपत्र में संलग्न नजरीनकशा निर्णय का अभिन्न भाग है।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (बैंक रहन होने पर यथावत बैंक के रहन में रहेंगे)

निर्णय आज दिनांक 13/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 56/2022

वादीगण-

1. नरपतसिंह पुत्र मेघसिंह जाति, राजपूत निवासी-छाजोली, तहसील-जायल, नागौर।
बनाम

प्रतिवादीगण -

1. महेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह
2. रायसिंह पुत्र हरिसिंह
3. अछन कंवर पत्नी हरिसिंह
4. कमूकंवर पुत्री हरिसिंह
5. मानकंवर पुत्री हरिसिंह
6. सदा कंवर पुत्री हरिसिंह
7. हवा कंवर पुत्री हरिसिंह
जातियान-राजपूत निवासीगण-छाजोली, तहसील-जायल, नागौर।
8. सरकार जरिये तहसीलदार जायल
9. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा छोटी खाटू।
10. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जायल।

उपस्थिति :-

1. श्री मुकेश कुमार बिडियासर अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री नाथूराम ईनाणियां प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 7 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार उपस्थित।
5. प्रतिवादी संख्या 9 व 10 परफॉर्मा पक्षकार।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री मुकेश बिडियासर अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 7 श्री नाथूराम ईनाणियां अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा छाजोली के खेत खसरा नं. 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर, खसरा नंबर 518 रकबा 1.2869 हैक्टैयर भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 सहखातेदार के मध्य जरिये सहमति एवं ईकवाली जवाब एवं पत्रावली में संलग्न साक्ष्य शपथ पत्र अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 नरपतसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा छाजोली के खेत खसरा नंबर 518 रकबा 1.2869 हैक्टैयर पूरा व खेत खसरा नंबर 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर में से 2.9413 हैक्टैयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है।



2. प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा छाजोली के खेत खसरा नंबर 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर में से 1.4126 हैक्टैयर नरपतसिंह के चिपता भाग माफिक नजरीनवशानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 रायसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा छाजोली के खेत खसरा नंबर 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर में से 1.4126 हैक्टैयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनवशानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 अच्छन कंवर के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा छाजोली के खेत खसरा नंबर 491 रकबा 7.1791 हैक्टैयर में से 1.4126 हैक्टैयर मध्य भाग माफिक नजरीनवशानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरागद हो।
6. वादपत्र में संलग्न नजरीनवशा निर्णय का अभिन्न भाग है।
7. बैंक के रहन खसरा नु के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (बैंक रहन होने पर यथावत बैंक के रहन में रहेंगे)

निर्णय आज दिनांक 13/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज - मुबलिंग - बाबत - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसुलयाबी तक - की अदा करें। बाबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/07/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकोन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)